प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.10.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 07.10.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡ थाना बनकटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त धनन्जय महतो पुत्र राम नरायन महतो सा0 छाता थाना हुसैनगंज जिला सिवान बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 48 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 9.6 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡ थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त आनन्द हजाम पुत्र राज हजाम सा0 छारदा थाना सिसई जनपद छरदा गुमला झारखण्ड गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसी क्रम में 01 अभियुक्त सूरज लोहरा पुत्र रिझन लोहरा सा0 लेप्सर सेमरा टोली थाना चान्हो जिला रांची झारखण्ड गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया तथा 01 अभियुक्त कमलेश लोहरा पुत्र बुधवा लोहरा सा0 भस्कोहरा टोली थाना लोहरदंगा जिला लोहरदंगा झारखण्ड गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 07.10.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

03. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 07.10.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡वाहन चेकिंग के दौरान 97 वाहनों से 92,500 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।